राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/रीडर/2017/1587 दिनांक 10/7/17

प्रेषित :-

तहसीलदार चौहटन

विषय :- राजस्व आवेदन सं. 181/2017 अन्तर्गत धारा 131,136 भू.रा.अ. अनवान हरीराम वगैरा बनाम जेठाराम वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.07.17 की प्रमाणित प्रति अनुसार तरमीम दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 181/2017

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थीगण– 1. हरीराम 2.बांकाराम पि.टीकमा
3.जोगाराम 4.अमराराम पि.जीवणाराम
जाति जाट, निवासी आईदान की ढाणी, धारासर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. जेठाराम 2.दुर्गाराम पि. जीवणाराम
3. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण वकील – श्री वीरमाराम धारासर
विप्रार्थीगण वकील --

निर्णय

दिनांक :– 4/7/17

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा आईदान की ढाणी, पटवार क्षेत्र धारासर, तहसील चौहटन में खसरा सं. 512 रकबा 321.13 बीघा का आया हुआ है। उक्त खसरान में प्रार्थीगण के मध्य बंटवाड़ा होने से बट्टा नम्बर डाले गये है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य बंटवाड़ा बाद तरमीम करते समय राजस्व कुर्मचारियों ने मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं कर अपनी मनमर्जी से मौके पर गलत तरमीम कर दी । जिसे प्रार्थीगण दुरस्त करवाने के अधिकारी है। जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादग्रस्त के संबंध में तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प धारासर में दिनांक 04.07.2017 को पेश हुई। तहसीलदार चौहटन से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो पत्रावली शामिल की गई। जांच रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि कि प्रार्थीगण का आवेदन वास्ते तरमीम दुरस्ती स्वीकार करने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.रा.अ. वास्ते तरमीम दुरस्ती स्वीकार किया जाकर मौजा आईदान की ढाणी, पटवार क्षेत्र धारासर, तहसील चौहटन में खसरा सं. 512 रकबा 321.13 बीघा के आये हुए है। उक्त भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट मय फर्द तथा प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तावित मौका रिपोर्ट मय फर्द तथा प्रस्तावित नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प धारासर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

मौका फर्द जाँच   राजस्व आवेदन सं. 181/17

आज दिनांक 24/6/17 को श्रीमान तहसीलदार साहब चौहटन के आदेश क्रमांक/भू.अ./2017/1348 दि. 15/6/17 की पालना में मय हमराह हल्का पटवारी व्यासासर के साथ खेत खसरा नम्बर 542/512, 543/512, 544/512, 545/512 रकबा क्रमशः 100, 100, 100, 21.13 बीघा मौजा आईदान की ढाणी की मौका जाँच हेतु मौके पर पहुँचा। पूर्व सूचनानुसार वादी व प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित मिले। उपस्थित वादी व प्रतिवादीगण एवं सेड़ा-पड़ोसीयान के रूबरू उक्त खसरा नम्बरो का मौका देखा गया। उक्त खसरा नम्बरो अनुसार पिता एवं पुत्रो की आपसी सहमति से (जरिये रजिस्ट्री) राजस्व रेकर्ड में बंटवारा हो चुका है लेकिन ट्रेस में पेनसीली तरमीम दर्शाये अनुसार काश्त कब्जा एवं मौके पर कनी, ढाणीया, टांका, चारवाड़, इत्यादि कच्ची तरमीम के बिल्कुल विपरित है। लेकिन ट्रेस में पुख्ता तरमीम नहीं है। वर्तमान जमाबंदी संवत 2070-73 मौजा आईदान की ढाणी का खा.सं. 12, 17, 31, 11 पूर्व बंटवारा अनुसार निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	जोगाराम जेठाराम दुर्गाराम अमराराम पि. जीवणाराम कौम जाट साहु खातेदार	542/512	100	बारानी	3.00
2.	बांकाराम पुत्र पीकमाराम कौम जाट साहु खातेदार	543/512	100	बारानी	3.00
3.	हीराराम पुत्र पीकमाराम कौम जाट साहु खातेदार	544/512	100	बारानी	3.00
4.	जोगाराम जेठाराम दुर्गाराम अमराराम पि. जीवणराम बांका हीरा पि. पीकमा कौम जाट साहु खातेदार	545/512	21.13	बारानी	0.65

C.S.
[signature]
4.7.17

तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

ट्रेस अनुसार पेनसीली कच्ची तरमीम अनुसार नक्शा संलग्न फर्द है जो काश्त कब्जा अनुसार नहीं है। बाद बंटवारा खा.सं. 11 में पिता के इन्तकाल पश्चात पुत्रो के नाम क्र.सं. 4 पर दर्ज अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है।

Ex court

उक्त ... खा.सं. 31 में खातेदार ... इन्द्राज है ...

उक्त बंटवाड़ा पूर्व में संलग्न नक्शा अनुसार किया गया जो काश्त कब्जा एवं ढाणियों, चारवाड़ा, टांका बने हुए इत्यादि के विपरित होने से उक्त खातेदारान की आपसी सहमति होने से काश्त-कब्जा एवं भूमि की उर्वरा शक्ति अनुसार उक्त समस्त भूमि का पुनः विभाजन एवं संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम शुद्धि करवाना चाहते है जो निम्न प्रकार है :—

1. जोगाराम जेठाराम दुर्गाराम अमराराम पि० जीवणाराम चौ० जाट सा० देह खातेदार	542/512	53.04 बीघे		
	542/512	26.13 बीघे		
	542/512	26.12 बीघे		
	3	106.09 बीघे	3.20	आसमानी
2. टांकाराम पुत्र टीकमाराम चौ० जाट सा० देह खातेदार	543/512	35 बीघे		
	543/512	39.17 बीघे		
	545/512	31.12 बीघे		
	3	106.09 बीघे	3.19	हरा
3. हीराराम पुत्र टीकमाराम चौ० जाट सा० देह खातेदार	544/512	106.09 बीघे	3.19	गुलाबी
4. जोगाराम जेठाराम दुर्गाराम अमराराम पि० जीवणाराम टांकाराम हीराराम पि० टीकमाराम चौ० जाट सा० देह खातेदार	542/512	2.06 बीघे	0.07	काला

उक्त खातेदार हीराराम द्वारा प्रस्तुत नोटरी शपथ पत्र राशनकार्ड आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र एवं खा.सं. 11 के अनुसार हीराराम नाम शुद्ध किया जाना एवं संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार [illegible] में तरमीम शुद्धि तथा सम्पूर्ण भूमि में आपसी सहमति होने से पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया फरीकों को मौके पर बुलाया जाकर पढ़कर सुनाया गया तथा वादी व प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये।

Eg. cont

14.7.17

तहसीलदार (भू.अ.) चौहटन

24/06/17

पटवारी

24/6/17

नि० जोगाराम

दुर्गाराम

नि०

नि०

नि०

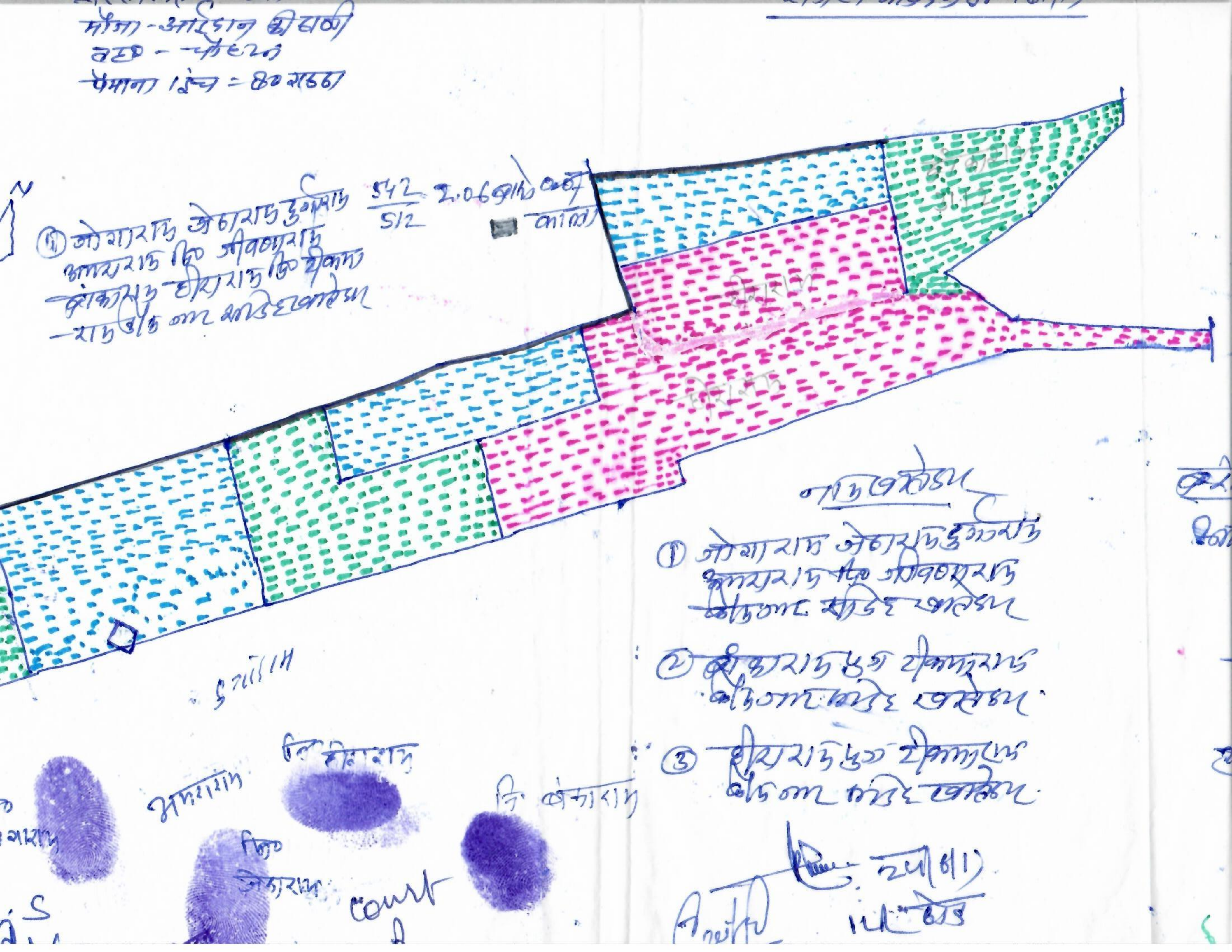
N
542/512
कायम
S
Court